



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179142

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30122 वर्ष 2026**

चंद्रकिशोर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक कुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिमेष कुमार कुशवाहा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0150/2026, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-कल्याणपुर, जनपद फतेहपुर में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि मृत्यु से पूर्व उसने दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण मृतका के साथ क्रूरता की थी। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 01.07.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और अभियुक्त (ससुर) की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्टेड है, के मामले में प्रतिपादित आदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765** में रिपोर्टेड है, के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक-**चंद्रकिशोर**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक विचारण/जांच में बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाए कि संबंधित अधिवक्ता द्वारा उसका सत्यापन किया गया है और प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, मामला: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 , दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस सी सी 685 में रिपोर्टेड है, के मामले में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पारित आदेश तथा पिला पाहन @पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति फतेहपुर जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

25 अगस्त, 2026

एस.सी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।